न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–254/2026

चित्रगुप्तनगर थाना काण्ड सं0–30/2026

लुखो देवी एवं अन्य – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

13.03.2026

काराधीन आवेदिका/अभियुक्तगण **1. लूखो देवी एवं 2. विष्णुदेव सिंह** की ओर से चित्रगुप्तनगर थाना काण्ड सं0–30/2026, धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में, यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री आजाद ठाकुर के द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक **22.02.2026** से कारा अभिरक्षा में है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक सं0–2 के विरुद्ध एक मामला बेलदौर थाना काण्ड सं0–280/2020 लंबित है एवं आवेदिका सं0–1 के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित सभी धाराएँ जमानतीय हैं, सिवाय धारा–318(4), 338, 336(3) BNS के, जो इन आवेदकगण पर लागू नहीं होते हैं और न ही इन धाराओं के अन्तर्गत कोई मामला नहीं बनता है। आवेदकगण वृद्ध व्यक्ति हैं, जिनमें आवेदिका सं0–1 लगभग 66 वर्ष और आवेदक सं0–2 लगभग 65 वर्ष के हैं और वे कानून का पालन करने वाले ग्रामीण हैं, जिनका इतिहास स्वच्छ है। आवेदकगण को कथित प्रतिरूपण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने केवल इस विश्वास के साथ जमानत पर हस्ताक्षर किए थे कि वह व्यक्ति असली आरोपी है। आवेदकगण का इरादा कभी भी माननीय न्यायालय को धोखा देने या गुमराह करने का नहीं था और प्रतिरूपण के कथित कृत्य में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पूरा आरोप, मुख्य रूप से राजेश कुमार के कृत्य से संबंधित है, जिसने कथित तौर पर आरोपी का रूप धारण किया था, और आवेदकगण को केवल इस आधार पर फंसाया गया है कि वे जमानतदार के रूप में खड़े हुए थे। कथित घटना में आवेदकगण की कोई

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
जमानत आवेदन सं0–254/2026
चित्रगुप्तनगर थाना काण्ड सं0–30/2026

लगातार
13.03.2026

भागीदारी नहीं है तथा वे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं और फरार नहीं होंगे। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिका अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचक के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 21.02.2026 को विद्वान न्यायायल, श्री शशांक कुमार न्या0दंडा0, प्रथम श्रेणी–सह–सिविल जज (कनीय कोटि), खगड़िया के न्यायालय में दीपक कुमार के द्वारा दाखिल किए गए बंध–पत्र 482(2) BNSS के अंतगर्त दाखिल शपथ–पत्र, जिसको उसके विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा पहचान सुनिश्चित किया गया है एवं शपथ–पत्र के साथ दो जमानतदार 1. लुखो देवी पति–विशुनदेव सिंह उम्र लगभग 66 वर्ष, 2. सिकन्दर आलम, एवं पहचानकर्ता श्री विशुनदेव सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष, इन दोनों का भी सत्यापन अधिवक्ता के द्वारा किया गया, परन्तु न्यायालय द्वारा जाँच के क्रम में संदेह उत्पन्न होने के कारण साईबर थाना को उक्त अभियुक्त के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया, जिसके फलस्वरूप साईबर थाना के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त अभियुक्त का सत्यापन किया गया। सख्ती से से पूछ–ताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम राजेश कुमार, पिता–विशुनदेव सिंह बताया। यह अभियुक्त वांछित अभियुक्त दीपक कुमार के स्थान पर फर्जी रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर बंध–पत्र दाखिल किया। विद्वान् न्यायालय द्वारा ऐसी स्थिति में दाखिल आत्मसर्मपण–सह–अनुमति आवेदन के साथ दाखिल बंध–पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया। राजेश कुमार को चित्रगुप्तनगर थाना को सुपुर्द कर दिया गया। राजेश कुमार पिता विशुनदेव सिंह के द्वारा न्यायालय के साथ घोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करना, प्रतिरूपण करना, जो कि गंभीर एवं दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
जमानत आवेदन सं0–254/2026
चित्रगुप्तनगर थाना काण्ड सं0–30/2026

लगातार
13.03.2026

है कि इस आपराधिक वाद में आवेदकगण सहित अन्य सह–अभियुक्त के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदकगण पर फर्जी रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने का आरोप है। जमानत आवेदन के पारा–3 के अनुसार, आवेदक सं0–2 के विरुद्ध अन्य एक मामला लंबित है एवं आवेदिका सं0–1 के विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी के अनुसार, आवेदिका सं0–1 लगभग 66 वर्ष की वृद्ध महिला है और आवेदक सं0–2 लगभग 65 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है तथा दोनों दिनांक 22.02.2026 से कारा अभिरक्षा में है, ऐसी दशा में उन्हें Cost के साथ जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए **आवेदिका/अभियुक्तगण को मो0–2,000–2,000/– (दो–दो हजार) रूपये प्रत्येक के द्वारा Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ** मो0– 10,000/–(दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत
(हस्ताक्षर)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	13.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	16.03.26
Uploading by	Nikhil Kumar (P.C.O)